(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2419-पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-5-12 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 34/11-12/बी-121.

---

1. श्रीमती अनीता यादव पत्नी रंजीत सिंह यादव
   निवासी निबुआपुरा, सिंहपुर रोड
   मुरार, ग्वालियर
2. श्रीमती पिंकी यादव पत्नी प्रमोद यादव
   निवासी पवनसुत कॉलौनी
   हुरावली तिराहा, मुरार,ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
2. साहब सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह
   निवासी सोड़ा का कुंआ, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अजय चतुर्वेदी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-5-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सिरोल स्थित सर्वे क्रमांक 415 रकबा 0.899 हेक्टेयर, 421/2 रकबा 3.125 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 454 मिन रकबा 2.069 भूमि तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 296/अ-19/71-72 में पारित आदेश दिनांक 28-8-72 द्वारा शासकीय पट्टेदार के रूप में अनावेदक क्रमांक 2 को आबंटित की गई थी, जिसमें से उसके

द्वारा सर्वे 421/2 रकबा 3.135 हेक्टेयर दिनांक 12-10-2009 को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवेदकगण को विक्रय किया गया था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/10-11-/बी-121 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर, आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 3 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उत्तर प्राप्त किया गया एवं दिनांक 6-4-11 को आदेश पारित करते हुए आवेदकगण के पक्ष में किया गया नामांतरण आदेश निरस्त किया गया । शासकीय पट्टे की भूमि विक्रय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से विक्रय की अनुमति प्राप्त किया जाना नहीं पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा भूमि बंटन प्रकरण क्रमांक 296/71-72/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 28-8-72 को प्रकरण क्रमांक 97/10-11 स्वमेव निगरानी में लिया जाकर दिनांक 25-8-2011 को पट्टाग्रहिताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । आवेदकगण द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 12-10-11 को पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिनांक 11-11-2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पारित बंटन आदेश दिनांक 28-8-72 निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 2475/2011 प्रस्तुत की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-11-2011 आदेश पारित कर प्रकरण में नियमानुसार दो माह की समय-सीमा में शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये । यह भी निर्देशित किया गया कि प्रकरण के निराकरण तक आवेदकगण के विरूद्ध कोई क्षतिकारक कार्यवाही न की जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/11-12-/बी-121 में दिनांक 9-5-12 को आदेश पारित कर प्रकरण में संहिता की धारा 165 (7-ख) के प्रावधान लागू होने के कारण आवेदकगण का अभ्यावेदन निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) कलेक्टर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल तथा अधिकारिता रहित होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2475/2011 में पारित आदेश दिनांक 16-11-2011 द्वारा कलेक्टर का आदेश दिनांक 11-11-2011 निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया था । कलेक्टर द्वारा पूर्व प्रकरण कमांक 97/10-11/स्वमेव निगरानी में कार्यवाही न करते हुए नया प्रकरण क्रमांक 34/11-12/बी-121 दर्ज कर आक्षेपित आदेश दिनांक 9-5-12 द्वारा आवेदकगण द्वारा क्रय की गई भूमि को संहिता की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन मानते हुए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब को निरस्त किया गया है, जो नितांत अवैध और अनुचित है ।

(3) कलेक्टर द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 11-11-2011 के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जबकि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2475/2011 में पारित आदेश दिनांक 16-11-2011 द्वारा अपास्त किया जा चुका था ।

(4) जब कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25-8-2011 निरस्त किया जा चुका है, तब उक्त सूचना पत्र पर पारित पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 11-11-2011 स्वमेव ही समाप्त हो जाता है और उसे आक्षेपित आदेश का आधार नहीं बनाया जा सकता है ।

(5) कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि पट्टाग्रहीता साहब सिंह, जिससे आवेदकगण ने भूमि क्रय की है, को अस्थायी पट्टे दिये गये थे और वे भूमिस्वामी नहीं थे । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है, क्योंकि पट्टाधारी साहब सिंह को प्रकरण क्रमांक 239/71-72/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 28-8-72 द्वारा पट्टा प्रदान किया गया था एवं प्रकरण क्रमांक 6/77-78/बी-121 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-7-78 द्वारा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे । अत: कलेक्टर द्वारा पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165 (7-ख) को समझने में त्रुटि की गई है, क्योंकि उक्त दिनांक 24-10-1980 को अंत:स्थापित की गई और इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है । अत: उक्त संहिता की धारा 24-10-1980 के पश्चात प्रदान किये गये पट्टों पर ही लागू होती है, दिनांक 24-10-1980 के पूर्व प्रदान किए गए पट्टों पर लागू नहीं होती है । भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 2 को संहिता की धारा 165 (7-ख) के अंत:स्थापन दिनांक 2-10-1980 के पूर्व ही दिनांक 6-7-1978 को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जा चुके थे । ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 165 (7-ख) के उपबंध आकर्षित नहीं होते है ।

(7) साहब सिंह द्वारा अन्य व्यक्तियों को किये गये विक्रयों को कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165 (7-ख) के उल्लंघन में मान्य कर भूमि शासकीय घोषित की गई थी, जिसे कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 97/2010-11/ में पारित आदेश दिनांक 11-11-2011 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 814/2011 तथा अन्य आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 2-11-2012 द्वारा अपास्त किया गया है एवं संहिता की धारा 165 (7-ख) के उपबंध लागू न होना घोषित किया गया है । इस तर्क के समर्थन में 2013 आर.एन. 8 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(8) माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय अनुसार साहब सिंह द्वारा आवेदकगण को किये गये विक्रयों को संहिता की धारा 165 (7-ख) के उपबंध लागू होना नहीं माना जा सकता । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय की अवहेलना में होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(9) संहिता की धारा 158 (3) के अनुसार भी पट्टाधारी केवल 10 वर्ष तक अंतरण नहीं किया जायेगा, तत्पश्चात अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इस कारण भी आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

(10) आवेदकगण द्वारा दृश्यमान स्वामी से भूमि क्रय की गई है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 के अनुसार विधिवत है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।

(11) लम्बे समय पश्चात स्वप्रेरणा से कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती । इस तर्क के समर्थन में 2010 आर.एन. 409(उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा अनावेदक क्रमांक 2

साहब सिंह को प्रकरण क्रमांक 296/71-72/अ-19 आदेश दिनांक 28-8-72 द्वारा पांच वर्ष के लिए अस्थायी रूप से कृषि प्रयोजन हेतु प्रदत्त किया गया था । उक्त शासकीय पट्टे की भूमि में से सर्वे क्रमांक 421/2 रकबा 3.135 हेक्टेयर को पट्टाग्रहीता अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के आवेदकगण को विक्रय किया गया था, जिसके आधार पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया गया । शासकीय पट्टे की भूमि बिना सक्षम अनुमति के विक्रय किये जाना पाये जाने से संहिता की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन होने से कलेक्टर द्वारा भूमि बंटन प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 11-11-2011 को आदेश पारित कर, प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पारित बंटन आदेश दिनांक 28-8-72 निरस्त किया गया । तदोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-12-2011 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा आवेदकगण द्वारा को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपने आदेश दिनांक 9-5-2012 में विस्तृत विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदकगण का अभ्यावेदन निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि शासकीय पट्टे की भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में 2002 आर.एन. 250 मुलायम सिंह तथा एक अन्य विरूद्ध बुधुवा चमार तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> ''धारा 165(7-ख)--भूमि राज्य सरकार से भूमिस्वामी अधिकारों में धारित--कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जा सकती--ऐसी अनुज्ञा के बिना अंतरण शून्य है और अपास्त किए जाने योग्य है ।''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 9-5-12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर